[1][धारा 20 : इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति

(1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत [2][इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन] कर से दायी संवाओं के संबंध मे बीजक सम्मिलित हैं या धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रुप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा।

---

1 वित्त अधिनियम, 2024 द्वारा धारा 20 प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 16/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.08.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.04.2025 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापना के पूर्व यह इस प्रकार था:

''धारा 20 : इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति

(1) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरित किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, केन्द्रीय कर के प्रत्यय का केन्द्रीय कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या केन्द्रीय कर के रूप में वितरण करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा, अर्थात् :–

(क) प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं को किसी दस्तावेज के प्रति, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है;

(ख) वितरित किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी;

(ग) किसी प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा;

(घ) प्रत्यय के एक से अधिक प्राप्तिकर्ताओं को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के, जिनके लिए सभी निवेश सेवा मानी गई है और जो सुसंगत अवधि के दौरान, चालू वर्ष में प्रचालन कर रहे हैं, सकल आवर्त का अनुपाततः होगा;

(ड.) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिए मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं की, जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में प्रचालन कर रहे हैं, के सकल आवर्त का अनुपाततः होगा।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) ''सुसंगत अवधि'',–

(i) यदि प्रत्यय के प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी; [A][या]

(ii) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले की, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध हैं;

(ख) ''प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता'' पद से उस इनपुट सेवा वितरक के तत्समान स्थायी खाता संख्यांक रखने वाला माल या सेवाओं या दोनों का पूर्तिकार अभिप्रेत है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन कराधेय माल और साथ ही ऐसे माल की, जो कराधेय नहीं है, पूर्ति में लगे हुए किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में ''आवर्त'' से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की [B][प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क] और उक्त अनुसूची की सूची 2 की प्रवृष्टि 51 और प्रविष्टि 54 के अधीन उद्गृहीत किसी शुल्क या कर की रकम को घटाकर आवर्त का मूल्य अभिप्रेत है।

A यहां ''या'' शब्द राजपत्र के अंग्रेजी संस्करण को देखते हुए दिया गया है।

B सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''प्रविष्टि 84'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''धारा 9'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार लिया गया है।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर केंद्रीय कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत [3][इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन या एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन] उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत कर उदग्रहण के अधीन सेंवाओं के संबंध में केंद्रीय या ऐकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रुप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं वितरण करेगा।

(3) केंद्रीय कर के प्रत्यय का केंद्रीय कर या एकीकृत कर के रुप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या केंद्रीय कर के रुप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा।]

उपयक्त नियमः नियम 39

---

3 वित्त अधिनियम, 2025 (2025 का क्रमांक 7) द्वारा ''धारा 9'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.04.2025)। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार लिया गया है।